

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनयान

बनाम

भरतसिंह

राजेन्द्र कुमार झा

दावा बाबत :- 88-89 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 176/19

निर्णय दिनांक :- 04/10/21

वादी की ओर से वकील मुन्शीराम की व प्रतिवादी सं0 1, 2 की

ओर से वकील सुनीप गोहाश की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 04-10-21

को मुझ शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

देवी जोला जल 16 Ams खाता सं. 190/187 के मु.नं. 9 के जिला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23, मु.नं. 10 जिला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25, मु.नं. 13 जिला नं. 3 ता 8, मु.नं. 14 जिला नं. 0 ता 3, 8 ता 10, जल जिला 42 की 16.626 हेक्टर नदी मय शजाता खाला प्रतिवादी सं. 01 राजेन्द्र कुमार के नाम 5.313 हेक्टर खातेदारी दर्ज है मे अकेले प्रतिवादी सं. 01 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं. 01 ता 3 प्रत्येक बहिसस बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि लाफ्लेषि भूमि बेक के रहन नहीं है तो उपरोक्तानुसार घोषण के अनुसार राजस्व रिमांड दर्ज किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला - हनुमानगढ़
भादरा, जिला हनुमानगढ़